संख्या–4024–69–1–2000–98 (सा)/97

प्रेषक,

श्री एस0 आर0 लाखा
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, लखनऊः दिनाँक–2 नवम्बर, 2000

विषय : सूडा द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास समिति (सी0डी0एस0) का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य नगर विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित योजनाओं की बुनियादी, शहरी गरीब महिलाओं के समुदाय को शक्ति प्रदान करते हुये नीचे से ऊपर की ओर की अवधारणा पर आधारित है। सामुदायिक विकास समिति (सी0डी0एस0) के गठन के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. सामुदायिक विकास समिति के रजिस्ट्रेशन के संबंध में वित्त (लेखा–परीक्षा) अनुभाग के शासनादेश संख्या–आडिट–3217/दस–2000–607(4)/77, दिनांक 23 अक्टूबर, 2000 के द्वारा निम्न अधिसूचना जारी की गयी है कि उत्तर प्रदेश में यथा प्रवृत्त सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 अधिनियम – सं0–21 सन् 1860 की धारा – 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का उपयोग करके महिला मंगल दल और स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना' के अधीन समुदायिक विकास समिति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीनीकरण के लिए रजिस्ट्रार को देय रजिस्ट्रीकरण फीस पांच रूपये होगी।

3. अतः अनुरोध है कि कृपया वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के आधार पर सामुदायिक विकास समिति का नियमानुसार गठन कर पंजीकरण कराने का कष्ट करें। प्रश्नगत धनराशि डूडा स्तर पर उपलब्ध प्रशासनिक मद के अंतर्गत वहन की जायेगी।

भवदीय,

(एस0आर0 लाखा)
सचिव

स0–4024 (1)/69.1.2000–98 (सा)/97 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाईल हेतु।

भवदीय,

(एस0आर0 लाखा)
सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (लेखा–परीक्षा) अनुभाग
संख्या – आडिट–3217 / दस–2000–607(4) / 77
लखनऊ दिनांक 23 अक्टूबर 2000

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में यथा प्रवृत्त सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (अधिनियम संख्या–21, सन् 1860) की धारा – 3 की उपधारा – (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचित करते है कि राज्य क सामुदायिक विकास खण्ड में कार्यरत महिला मंगल दल और ''स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना'' के अधीन सामुदायिक विकास समिति के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीनीकरण के लिये रजिस्ट्रार को देय रजिस्ट्रीकरण फीस पांच रूपये होगी।

आज्ञा से

(सुशील चन्द्र त्रिपाठी)
प्रमुख सचिवे